उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1
संख्या-145/2019/1166/81-1-2019-30(7)/2018
लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनहित एवं कार्यहित में श्री राम प्रकाश सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच का प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्यजीव प्रभाग, चंदौली के पद पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1126/14-1-2019-30(8)/2018 दिनांक 29 जून, 2019 द्ववारा स्थानान्तरण के आदेश निर्गत किये गये थे।

2- श्री राम प्रकाश सिंह की पत्नी द्वारा पत्र दिनांक 30.06.2019 में उल्लेख किया गया है कि उन्हें शुगर व स्पाइन की समस्या है एवं उनके पति की सेवा के मात्र 04 माह शेष है, के दृष्टिगत उनके द्वारा शासन के उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.06.2019 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

3- अतः श्री राम प्रकाश सिंह की पत्नी के पत्र दिनांक 30.06.2019 में किये गये अनुरोध पर विचारोपरान्त श्री राम प्रकाश सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के उक्त स्थानान्तरण आदेश कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1126/14-1-2019-30(8)/2018 दिनांक 29 जून, 2019 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए तात्कालिक प्रभाव से श्री राम प्रकाश सिंह को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव

संख्याः-145/2019/1166(1)/81-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/केन्द्रीय भवन अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण प्रमाणक की सूचना सीधे शासन को तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को भेजे।
6- निजी सचिव मा0 मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
7- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीता चैधरी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in